

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

गैरयोजना

स०-३/आ० वि० (संघा०)-०१-०३/२०१६-

71

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, (भा०प्र०से०)

निदेशक।

सेवा में,

सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 13.01.17

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मद से अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के स्थाई पदों संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में रू० 2,40,46,000/- (दो करोड़ चालीस लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए गैरयोजना मद से अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के स्थाई पदों के संधारणार्थ प्रथम चरण के लिए कुल 8,01,50,200/-रू० (आठ करोड़ एक लाख पचास हजार दो सौ रुपये) तथा विभागीय आवंटनादेश संख्या-23, दिनांक-18.07.2016 द्वारा कुल 20,38,82,500/-रू० (बीस करोड़ अड़तीस लाख बिरासी हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की गई थी। उसी क्रम में विभिन्न जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा माँग के आलोक में अनु० जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थाई पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में रू० 2,40,46,000/- (दो करोड़ चालीस लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2- कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजना आय-व्यय शीर्ष मांग संख्या-44-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0003-आवासीय विद्यालय-कूट संख्या 0101-वेतन,0103-जीवन यापन भत्ता, 0104-मकान किराया भत्ता, 0105-परिवहन भत्ता, 0106-चिकित्सा भत्ता, विपत्र कोड सं०-N2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक-एम०-4-05/ 98-2607/ बि(2) दिनांक-20/4/98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- आवंटित राशि से अतिरिक्त राशि की मांग हेतु विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की वास्तविक संख्या के अनुरूप वेतन, जी०या० भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता में मांग पत्र प्रस्तुत किया जाय।

6- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

7- व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)

निदेशक।

ज्ञापांक-3/आ0 वि0 (संधा0)-01-03/2016-

71

पटना, दिनांक- 13.01.17

प्रतिलिपि:-विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/सम्बंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्यय पदा0/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



निदेशक
13/01/17

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजनान्तर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु० जाति आवासीय विद्यालयों के स्थाई पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी:-

क्र०सं०	जिला का नाम	विद्यालय का नाम	वेतन एवं भत्ते मद में आवंटित राशि (रु० में)
1	2	3	4
1	पटना	रा० अ० आवासीय उच्च विद्यालय, पुनपुन	2300000
2		रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, गायघाट	1675000
3	जहानाबाद	रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, जहानाबाद	5000000
4	अरवल	रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, अरवल	1550000
5	रोहतास	रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, सासाराम	3500000
6	भोजपुर	रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, आरा	1200000
7		रा० अ० आवासीय बालक उच्च विद्यालय, आरा	3000000
8	भभुआ	रा० अ० आवासीय उच्च विद्यालय, भभुआ	4000000
9	जमुई	रा० अ० आवासीय उच्च विद्यालय, इन्दपै, जमुई	1821000
कुल योग			24046000

(दो करोड़ चालीस लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र।

पत्रांक- 71

दिनांक- 13.01.17



निदेशक
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।